

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 06 / 16 (2017 / 00036)

वर्ष 2016

बउनवानी:-

मोतीलाल पुत्र रामनारायण रैगर निवासी मित्रपुरा तहसील बाँली जिला स0मा0
बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मित्रपुरा तहसील बाँली, जिला सवाईमाधोपुर
2. गोपाल पुत्र धूल्या जाति माली निवासी मित्रपुरा, तहसील बाँली जिला स0मा0

(निगरानी आदेश दिनांक 10.11.1999 सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:-1. श्री राजकुमार कुर्मी
2. श्री भगवानदास माली
3. श्री राधेश्याम वैष्णव

वकील निगरानीकार
वकील अप्रार्थी संख्या-1
वकील अप्रार्थी संख्या 2-4

—: निर्णय :-

दिनांक 26.6.2019

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा दिनांक 10.11.1999 को जारी पट्टा संख्या 28 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त दिनांक 10.11.1999 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौरान सुनवायी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.1999 को जारी पट्टा संख्या 28 तथ्य एवं विधि के विपरीत जाकर जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि विवादग्रस्त स्थल पर जिस जगह का पट्टा विलेख जारी किया गया है उस स्थान का कोई खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है तथा पट्टा प्रारूप में नाम पते भरकर सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा ने फर्जीवाडा करके पट्टा जारी किया गया है जो काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत ने मौके पर जाकर वार्ड मैम्बर से मौका रिपोर्ट लिये बगैर ही पट्टा जारी किया गया है जबकि मौके पर अपीलान्ट का काफी लम्बे अरसे से कब्जा है तथा मकान बनाकर निवास कर रहे है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत ने मौके पर विधिवत रेस्पो. संख्या 2 को रेस्पो. संख्या 1 ने कोई कब्जा नहीं दिया है दिनांक 10.3.2016 को पट्टा लेकर मौके पर आकर अपीलान्ट से कहा कि यह भूमि मेरी है तुम यह जगह खाली करो तो प्रार्थी ने कहा कि यहा हम बरसों से रह रहे है ऐसे कैसे यह जगह खाली कर देंगे। तो अपीलान्ट ने जाकर पंचायत मित्रपुरा में तलाश किया तो वहाँ पर कोई रिकार्ड नहीं मिला ओर ना ही पंचायत द्वारा कोरम ने दिया गया प्रस्ताव निर्णय कोई राजस्व रिकार्ड मिला। इसके पश्चात प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाँली से मिला तब जाकर बडी मुश्किल से दिनांक 14.3.2016 को सांयकाल 5 बजे पट्टे की प्रति प्रार्थी को प्राप्त होने पर अपने वकील से सलाह कर यह निगरानी जानकारी प्राप्त होने से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार आदेश जैर निगरानी खारित किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।


डॉ० पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि अनुरूप है जिसमे किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 के द्वारा दिनांक 3.1.1999 को ग्राम पंचायत मित्रपुरा में नई बस्ती आबादी में बाडा बना हुआ है जिसका पट्टा जारी किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 3.1.1999 को नोटिस जारी कर पट्टे से संबंधित स्थान के संबंध मे आपत्ति मांगी गयी। प्रस्तावित स्थान का विधिवत पंचो से मौका दिखवाया जाकर मौका पर्चा व नक्शा मंगवाया जाकर विधिवत 5/-रु प्रति वर्गगज के हिसाब से कुल 760/-रु पंचायत मे जमा करके पट्टा संख्या 28 दिनांक 10.11.1999 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा उक्त पट्टा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण करके जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पट्टे से संबंधित भूमि को लेकर प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश क.ख. बौली के न्यायालय मे पेश किया गया है। वाद पत्र वर्तमान में जैरकार है किन्तु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रार्थी विवादित स्थान पर अपना कब्जा एवं स्वामित्व साबित करने में असफल रहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी 2 के पक्ष मे जारी पट्टा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण कर जारी करना अपनी बहस में बताया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों की और से दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा दिनांक 10.11.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 28 को जारी करने से पूर्व सभी विधिक प्रकिया अपनायी गयी है। वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर उसका कब्जा है किन्तु कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये उक्त कथन की पृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय क.ख. बौली के न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना में अपना कब्जा एवं स्वामित्व साबित नही करने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टे से संबंधित भूखण्ड को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है जिसमे पक्षकारान के स्वामित्व तय होना है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

